"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2012—श्रावण 8, शक 1934

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-18/तीन-जेल/2012.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 की उप-धारा (8) सहपठित छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कबीरधाम जिले के कबीरधाम में उपजेल स्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 3-18/तीन-जेल/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-18/तीन-जेल/2012 दिनांक 30 जुलाई, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th July 2012

NOTIFICATION

No. F 3-18/Three-Jail/2012.—In exercise of the powers conferred by rule 6 of the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 read with sub-section (8) of the Section 59 of the Prison Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government, hereby, establishes a Subsidiary Jail at Kabirdham in Kabirdham District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-20/तीन-जेल/2012.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 की उप-धारा (8) सहपठित छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती में उपजेल स्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 3-20/तीन-जेल/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-20/तीन-जेल/2012 दिनांक 30 जुलाई, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th July 2012

NOTIFICATION

No. F 3-20/Three-Jail/2012.—In exercise of the powers conferred by rule 6 of the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 read with sub-section (8) of the Section 59 of the Prison Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government, hereby, establishes a Subsidiary Jail at Sakti in Janjgir-Champa District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-21/तीन-जेल/2012.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 की उप-धारा (8) सहपठित छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में उपजेल स्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 3-21/तीन-जेल/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-21/तीन-जेल/2012 दिनांक 30 जुलाई, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 30th July 2012

NOTIFICATION

No. F 3-21/Three-Jail/2012.—In exercise of the powers conferred by rule 6 of the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 read with sub-section (8) of the Section 59 of the Prison Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government, hereby, establishes a Subsidiary Jail at Sarangarh in Raigarh District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.